निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई॰ए॰एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 28/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नारायण पुत्र स्व॰ श्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम बरखेडा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिवचरण शर्मा आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर ।
2. हनुमान पुत्र स्व॰ श्री गोपाल
3. छोटूराम पुत्र स्व॰ श्री गोपाल
4. कमला देवी पत्नी स्व॰ श्री गोपाल
5. कैलाशी देवी पुत्री स्व॰ श्री गोपाल

   समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम यारलीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।
7. रामपाल पुत्र स्व॰ कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम बरखेडा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 48/2022 ब उनवानी नारायण बनाम कमला देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हजारी लाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 17.03.2025.**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 48/2022 ब उनवानी नारायण बनाम कमला देवी व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर यू टी पेश की ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अनुसूचित जनजाति का गरीब व ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित व्यक्ति है जो कानूनी दावपेचों

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

से कतई अनभिज्ञ है तथा खेती करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 सामान्य जाति के सदस्य है तथा बेहद शातिर एवं चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो येनकेन प्रकारेण प्रकरण हाजा में अनुचित आदेश कराने की फिराक में है। इसी का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थी के हक–पूर्वाधिकरियों से जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है कि कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के हक पूर्वाधिकारी जो सामान्य जाति के सदस्य है के द्वारा नियमों के विपरीत नुमाईश विकय के आधार पर अपने नाम दर्ज व अंकित करवा लिया । उसी के संबंध में प्रार्थी द्वारा यह दावा उनवानी नारायण बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत 24.01.2024 को खारिज फरमा दिया गया, जिसकी राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में अपील विचाराधीन है जबकि प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के हक पूर्वाधिकारी जो समान्य जाति के व्यक्ति है, ने काननू के विपरीत धारा 42 की अवहेलना करते हुये भूमि अपने नाम करवाई गई है, को निरस्त करवाने बाबत ही प्रार्थी द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत किया गया था जो कि पूर्ण साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य आने के बाद ही नियमानुसार निर्णित किया जाना चाहिये था लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 अपनी राजनैतिक पहूंच, धनबल व दबंगाई का नाजाजय फायादा उठाते है। दिनांक 24.06.2024 को प्रार्थी अपने कब्जे काश्त व बेहैसियत खातेदारी की भूमि पर काश्त इत्यादि की तैयारी कर रहा था तब दो गाडियों में 7–8 व्यक्ति आये व भूमि के मौके पर आकर उक्त भूमि को कय करने की वार्तालाप करने लगे। तब प्रार्थी ने उनके पास जाकर पूछा की आप कौनसी जमीन की बात कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि आपके कब्जे की जमीन को हनुमान अप्रार्थी संख्या 2 ने हमें विकय करने के लिये कहा है, तो प्रार्थी ने उन लोगों से कहा कि इस जमीन का तो एस डी ओ कोर्ट चाकसू में मुकदमा चल रहा है तब उन्होंने कहा कि हनुमान अप्रार्थी संख्या 2 ने हमसे कहा है कि एक मुकदमें को तो मैने राजनैतिक पहुंच व धनबल के आधार पर पूर्व में खारिज करवा दिया है । आप तो सौदा करलो एक मुकदमा और बचा है उसमें आगे की तारीख आज ही 01.07.2024 ले ली है उस दिन बहस कर के एक दो दिन में फैसला करवा लूंगा तब प्रार्थी ने उन लोगों से कहा कि आप इस जमीन को मत खरीदना इसमें विवाद है । इस पर वो लोग उस दिन मौके से चले गये। उक्त घटना के अगले दिन दिनांक 25.06.2024 को प्रार्थी एस डी ओ कोर्ट कार्यालय परिसर में अपने अधिवक्ता से मिलने गया तो वहां हनुमान अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठा था तथा उसके साथ एक राजनेता भी था जो सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था । कुछ देर बाद हनुमान अप्रार्थी संख्या 2 राजनेता के साथ अप्रार्थी संख्या 1 के चेम्बर से मुस्कुराता हुआ बाहर आया तो प्रार्थी को दिनांक 21.06.2024 वाली घटना याद आ गई व प्रार्थी का शक यकीन में बदल गया कि जरूर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के आधार पर उक्त विचाराधीन अपील अप्रार्थी संख्या 1 से

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मिलीभगत के आधार पर प्रार्थी के विरूद्व फैसला करवा कर जल्द ही उक्त भूमि का बेचान कर प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल कर अधिकारों से जबरन वंचित कर देंगे । उक्त घटना की जानकारी प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता को दी तो उन्होंने कहा कि पक्षकारान का अधिकारी के चैम्बर में क्या काम है ? पक्षकार का अधिकारी के चैम्बर में किसी राजनेता या अन्य किसी प्रकार के सक्षम व्यक्ति के साथ मिलना कहीं ना कहीं सन्देह उत्पन्न करता है। इसलिए प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी से कतई न्याय की उम्मीद नहीं बची है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त पत्रावली चाकसू तहसील के अलावा जयपुर जिले के अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner